न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
50 / 2019	दावा 88,91,92ए RTA	02.07.2019	15.03.2022

सुमन पुत्री मूलाराम पत्नी पवनकुमार जाति जाट निवासिनी सिरसली तहसील चूरू हाल निवासिनी ज्योतिनगर राजगढ जिला चूरू (राज.)

—वादिनी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू तहसील व जिला चूरू

—मुख्य प्रतिवादी—

2. ओमी
3. चन्द्रावली
4. धरमा
5. भागी
6. सन्तोष
7. समाकौर

पुत्रियां मूलाराम जाति जाट निवासीगण सिरसली तहसील चूरू (राज.)

8. करमानन्द
9. श्रवणी

पुत्र—पुत्री दूलाराम जाति जाट निवासीगण सिरसली तहसील चूरू (राज.)

—गौण प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शेरसिंह पूनिया व श्री नरेन्द्र पूनिया वादिनी
2. पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित।

निर्णय

वादिनी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि कृषि भूमि ख.नं. 458, 468, 469 तादादी क्रमशः 0.6071 हैक्टेयर, 5.5012 हैक्टेयर, 3.5789 हैटक्येर कुल तादादी 9.6872 हैक्टेयर रोही मौजा सिरसली तहसील व जिला चूरू में वादिनी व गौण प्रतिवादी सं. 2 से 9 की संयुक्त खातेदारी की है जिस पर वादिनी व गौण प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त व खातेदारी चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि हमारी पैतृक है। वादिनी व गौण प्रतिवादी सं. 2 से 7 के पिता मूलाराम का जब देहान्त हुआ तब उनका विरासतन इन्तकाल दर्ज करने के समय राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से वादिनी का लाड़ प्यार से बोला जाने वाला नाम गुड्‌डी दर्ज कर दिया जबकि वादिनी का सही व दस्तावेजी नाम सुमन है तथा वादिनी के पिता मूलाराम के गुड्‌डी नाम की कोई सन्तान नहीं है। वादिनी के समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं वोटर कार्ड भी सुमन नाम से ही बने हुए हैं तथा वादिनी का ही सही नाम सुमन है। वादिनी ने जब पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकल मांगी तो पटवारी हल्का ने वादिनी को बताया कि आपका नाम राजस्व रिकार्ड में सुमन के स्थान पर गुड्‌डी अंकित है जिससे प्रथम वादिनी को नाम गलत दर्ज होने की जानकारी हुई। वादिनी ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दुरुस्त करने का निवेदन किया तो पहले तो हां, हूं करते रहे व आखिरकार दिनांक 12.03.2019 को ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इन्कार करने की तिथि से वादिनी को वाद कारण प्राप्त है तथा वादगत कृषि भूमि की खातेदार काबिज काश्तकार होने से वादिनी को दावा का आधार प्राप्त है। राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम गुड्डी गलत दर्ज होने के कारण वादिनी के.सी.सी. व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकती। इसलिए वादिनी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाये जिसके लिए वादिनी ने यह दावा न्यायालय में पेश किया है।

अतः दावा वादिनी पेश कर अर्ज है कि दावा वादिनी स्वीकार कर बहक वादिनी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) घोषणा इस आशय की की जावे कि वादिनी सुमन कृषि भूमि ख.नं. 458, 468, 469 तादादी क्रमशः 0.6071 हैक्टेयर, 5.5012 हैक्टेयर, 3.5789 हैटक्येर रोही मौजा सिरसली तहसील जिला चूरू की 8/147 हिस्सा की खातेदार काबिज काश्तकार है।

(ख) कृषि भूमि ख.नं. 458, 468, 469 तादादी क्रमशः 0.6071 हैक्टेयर, 5.5012 हैक्टेयर, 3.5789 हैटक्येर रोही मौजा सिरसली तहसील जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम गुड्डी पुत्री मूलाराम हिस्सा 8/147 जाति जाट निवासिनी सिरसली खातेदार के स्थान पर सुमन पुत्री मूलाराम हिस्सा 8/147 जाति जाट निवासी सिरसली खातेदार अंकित किया जावे। इस आशय कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादी सं. 1 से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो अथवा दौराने सुनवाई वाद हो जावे, वह भी दिलवाया जावे।

वादिनी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए व जवाबदावा हेतु समय चाहा गया। गौण प्रतिवादी सं. 2 से 9 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया। तहसीलदार, चूरू से नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार, चूरू से पटवारी हल्का सिरसला की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अंकित आया कि आज दिनांक 09.03.22 को ग्राम सिरसली के मौके पर पहुंच कर गुड्डी पुत्री मूलाराम के सही नाम की पूछताछ करने पर मौजूद व्यक्तियों ने बताया कि गुड्डी और सुमन दोनों एक ही महिला के नाम हैं। गांव में उसे गुड्डी के नाम से पुकारा जाता रहा है लेकिन उसके आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम सुमन पुत्री मूलाराम बताया गया है। आज दिनांक को सुमन अपनी ससुराल राजगढ़ ... निवास ... ग्रामवासियों ने पूछताछ करने पर यही बताया कि गुड्डी पुत्री मूलाराम व सुमन पुत्री मूलाराम ... पवनकुमार दोनों एक ही नाम है। फर्द मौका मौके पर तैयार कर उपस्थित ... व उनके हस्ताक्षर करवाये। मौका रिपोर्ट पर पटवारी हल्का के साथ ग्राम के कतिपय व्यक्तियों व सरपंच ग्राम पंचायत सिरसला के हस्ताक्षर अंकित हैं। तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश मौका रिपोर्ट से नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में दावा में अंकित तथ्य सही पाये जाने पर अधिवक्ता वादिनी ने बहस का निवेदन किया जिस पर उपस्थित पक्षकारों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वकील वादिनी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि वादिनी के पिता के स्वर्गवास के बाद दर्ज विरासतन इन्तकाल में वादिनी का गांव में आम बोलचाल में बोला जाने वाला नाम गुड्डी दर्ज हो गया जबकि वादिनी का सही व दस्तावेजी नाम सुमन है। राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम गलत दर्ज होने से उसे के.सी.सी., कृषि मुआवजा व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा राजकीय कार्यों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादिनी ने वादगत कृषि भूमि में अपने गलत दर्ज नाम को दुरुस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पेश मौका रिपोर्ट में ग्रामवासियों द्वारा गुड्डी व सुमन दोनों नाम एक ही महिला के बताये गये हैं। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम गुड्डी के स्थान पर सुमन अंकित करने का आदेश फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने अपनी संक्षिप्त बहस में कथन किया कि वादिनी का दावा स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि में वादिनी का नाम उसके दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है, तो राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए दावा पर कोई आपत्ति नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ख.नं. 458, 468, 469 तादादी क्रमशः 0.6071 हैक्टेयर, 5.5012 हैक्टेयर, 3.5789 हैक्टेयर रोही मौजा सिरसली तहसील जिला चूरू में वादिनी का नाम गुड्डी पुत्री मुलाराम हिस्सा 8/147 हिस्सा जाति जाट निवासिनी सिरसली खातेदार दर्ज है जिसको वादिनी दुरुस्त करवाना चाहती है। वादिनी के आधार कार्ड सं. 665867763360, भामाशाह कार्ड सं. VWPRHVP, राशन कार्ड सं. 200003733153 व पासबुक बैंक खाता संख्या 41060100011640 में उसका नाम सुमन दर्ज है। वादी ने वादगत कृषि भूमि में भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू एवं सह खातेदारों को प्रतिवादी सं. 1 से 9 पक्षकार बनाया है जिन्होंने दावा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति पेश नहीं की है। तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश रिपोर्ट में दावा में अंकित तथ्य सही पाये गये हैं। पैरोकार राज ने बहस में कथन किया है कि वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता व पति का नाम उनके दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है, तो राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए दावा पर कोई आपत्ति नहीं है। गौण प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये हैं।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 458, 468, 469 तादादी क्रमशः 0.6071 हैक्टेयर, 5.5012 हैक्टेयर, 3.5789 हैक्टेयर रोही मौजा सिरसली तहसील जिला [illegible] नाम गुड्डी पुत्री मुलाराम हिस्सा 8/147 हिस्सा जाति जाट निवासिनी सिरसली [illegible] दर्ज है जिसको वादिनी दुरुस्त करवाना चाहती है। वादिनी द्वारा पेश दा[illegible] रिपोर्ट एवं दावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि [illegible] कृषि भूमि वादिनी एवं गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पैतृक कृषि [illegible] है। राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम गुड्डी गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि इनके समस्त दस्तावेजों में सही नाम सुमन दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नामों में भिन्नता होने से वादिनी को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादिनी वादगत कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार हैं इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरुस्त करवाने का अधिकार है। वादिनी का नाम दुरुस्त किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादिनी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर दावा वादिनी नाम दुरुस्ती की हद तक स्वीकार करने योग्य है।

निर्णय

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आलोक में दावा वादिनी अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए आर.टी.ए. का आंशिक रूप से नाम दुरुस्ती की हद तक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 458, 468, 469 तादादी क्रमशः 0.6071 हैक्टेयर, 5.5012 हैक्टेयर, 3.5789 हैक्टेयर रोही मौजा सिरसली तहसील जिला चूरू में वादिनी का नाम गुड्डी पुत्री मुलाराम के स्थान पर सुमन पुत्री मुलाराम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरुस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:30 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

सुमन पुत्री मूलाराम पत्नी पवनकुमार जाति जाट निवासिनी सिरसली तहसील चूरू हाल निवासिनी ज्योतिनगर राजगढ जिला चूरू (राज.)

–वादिनी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू तहसील व जिला चूरू

–मुख्य प्रतिवादी–

2. ओमी
3. चन्द्रावली
4. धरमा
5. भागी
6. सन्तोष
7. समाकौर

पुत्रियां मूलाराम जाति जाट निवासीगण सिरसली तहसील चूरू (राज.)

8. करमानन्द
9. श्रवणी

पुत्र–पुत्री दूलाराम जाति जाट निवासीगण सिरसली तहसील चूरू (राज.)

–गौण प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 50 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शेरसिंह पूनिया व नरेन्द्र पूनिया एडवोकेट वादिनी, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादिनी अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए आर.टी.ए. का आंशिक रूप से नाम दुरुस्ती की हद तक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख. नं. 458, 468, 469 तादादी क्रमशः 0.6071 हैक्टेयर, 5.5012 हैक्टेयर, 3.5789 हैक्टेयर रोही मौजा सिरसली तहसील जिला चूरू में वादिनी का नाम गुड्डी पुत्री मुलाराम के स्थान पर सुमन पुत्री मुलाराम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में यथानुसार दुरुस्ती की जावे।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत [illegible] दिनांक 15 माह मार्च सन् 2022 को जारी की गई।

(राहुल सैनी)

उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini

Date: 2022.04.27 19:21:30 IST

Reason: SelfAttested